

2

No.11035/12/2013 -NI-III
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
(HR Division)

NDCC-II Tower, 'A'-Wing,
4th Floor, New Delhi -110001.
Dated the 4th July, 2013

To,

The Secretary,
National Foundation for Communal Harmony,
9th Floor, Lok Nayak Bhawan,
New Delhi -110003.

Subject: Transfer of the RTI application.

Please refer to the RTI Cell's OM No. A-43020/01/2013-RTI dated 31.5.2013 forwarding the RTI application dated 06.5.2013 of Smt. Shashi Prabha Agarawal seeking information regarding National Communal Harmony Award 2011, received in this Division on 20.6.2013 (copy enclosed)

2. Since the information requested by th* applicant under point 1 to 3 is concern of the National Foundation for Communal Harmony (NFCH), the application is transferred to the NFCH under section 6(i) of the RTI Act, 2005 for necessary action.

3. So far as point 4 is concern a copy of RTI application dated 06.5.2013 is being circulated to all the CPIOs of this Ministry with the request to provide requisite information directly to the applicant on Point 4.

Encl: As above.


(Dr. R.K. Mitra)
Joint Secretary (NI) & CPIO
Tel: 23438111

Copy to:

(By Speed Post)

1. Smt. Shashi Prabha Agrawal, R-10, HIG Sector-23, Sanjoy Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh with request to approach various other Minister/Department about the awards if any instituted by them on Point 4 which are under preview of other CPIOs of the various Ministries / Departments. As per information available with the undersign CPIO, the Govt. Of India instituted a National Award designated as "Kabir Puraskar", to promote communal, caste and ethnic harmony. These awards are announced on 2nd October every year. The details of the same are available in the web link <http://mha.nic.in>.

2. CPIOs of MHA (as per list attached) for taking appropriate action in respect of Point 4 of the RTI application dated 06.5.2013 and providing the requisite information directly to the applicant.

3. Shri S. Samanta, US (RTI) /CPIO, MHA, New Delhi w.r.t. OM No. A-43020/01/2013-RTI dated. 31.5.2013.

TO (PM)
9/7

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

रूह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक : 31/05/2013

कार्यालय आपन

55/55611/13

20/6/13

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री...शाही प्रभा अग्रवाल...की आवेदन।

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री...शाही प्रभा अग्रवाल...के दिनांक 21/5/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में से अंतरण द्वारा दिनांक 27/05/2013 को प्राप्त) को रुज आई प्रभाव को अद्योपित करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि नागों वई सूचना उक्त प्रधान के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अद्योपित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 29.05.2013 को स्वीकृत सं...24754...के तहत जमा कर दिया है। संलग्न नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एन श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

संलग्नक : यद्योपरि

शु. सामंत
(शु. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निदेशक (रुज आई)

रूह मंत्रालय

रुज डी सी सी - II भवन

जय सिंह रोड, नई दिल्ली

RTI

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री

शाही प्रभा अग्रवाल

रुज-10, रुज आई की

सेक्टर - 23, सवयनगर

गाजियाबाद (उठ प्रप)

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

20/06/13
R-Part

2016

2013-3

Sh. Das

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs

जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6
(नियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i))

रसीद / RECEIPT

2

/No. 24754

दिनांक 20
Dated 25/10/2013..

श्री/श्रीमती/सुश्री
Received From Shri/Smt./Km. के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ 2121 पत्र संख्या के साथ के दिनांक 20

with Letter No./Reference No. Dated 20

बैंकर्स चेक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या
Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No. 1118 102019

के रूप में रुपये की नकद धनराशि
the sum of Rupees by Cash

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।
on account of fee under Right to Information Act 2005.

अभिहर / Initials

रुपये / Rs. 1118

पदनाम / Designation

आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. ए-43020/01.2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 10/05/2013

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमती/कुमारी शोषि प्रभा

आग्रवाल

का आवेदन।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपने दिनांक 6/5/2013 के आवेदन का अवलोकन करें जो इस मंत्रालय में दिनांक 07/05/2013 को द्वारा अंतरण से प्राप्त हुआ था। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत विनियंत्रण) नियमावली के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का अनुरोध 10/- रु. के आवेदन शुल्क के साथ होना चाहिए, जो कि उपयुक्त रसीद प्राप्त कर नकद अथवा उस लोक प्राधिकारी, जिससे सूचना मांगी जा रही है, के "लेखा अधिकारी" को देय उपयुक्त डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से दिया जा सकता है।

2. आपके ऊपर-उल्लिखित सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन में निम्नलिखित कमियां पाई गई थी:

i) 10/- रु. का शुल्क प्रेषित नहीं किया गया है जो कि गरीबी रेखा से नीचे वर्ग के व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी के लिए आवश्यक है।


ii) शुल्क को कोर्ट फी स्टैम्प/ऑर-न्यायिक पेपर/अकाउंट पेई चैक/ डाक टिकट/ के माध्यम से भुगतान किया गया है, जो कि अधिनियम के अंतर्गत भुगतान का वैध माध्यम नहीं है।

iii) -----/-रु. का डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर प्रस्तुत किया गया है, जो कि अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शुल्क नहीं है।

iv) प्रस्तुत किया गया डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर उचित प्राधिकारी के पक्ष में देय नहीं है। यह "लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय" के पक्ष में देय होना चाहिए।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आपके सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन को 10/रु. के आई पी ओ/डिमांड ड्राफ्ट/ऑर-न्यायिक पेपर/कोर्ट फी स्टैम्प/ (सं. 14F 452067) के साथ मूल रूप में वापिस किया जाता है। एवं सं. 02F 181131

संलग्नक: उपर्युक्त के अनुसार



श्रीनिवास प्रधान
(श्रीनिवास प्रधान)

उप सचिव (ई) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

ATI
3535/R/10/13
29/5

DIR (N)

Return back
w/o carry letter
for applicant in name
सेवा में 27/5/13

श्री/श्रीमती/सुश्री शोषि प्रभा आग्रवाल
एफ. नं. 10, एच. आर. आर. जी
सं. 22 - 23
गणेश टाकरी

निष्ठा (क) उपर्युक्त
प्रमाण
शोषि प्रभा

10 (4)

06.05.2013
दिनांक ~~19.02.2012~~

09 MAY 2013
598
3000/812/2013
105113

श्रीमान सचिव
गृह मंत्रालय भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत आवश्यक जानकारी।

महोदय,

पिछल वर्ष आपके कार्यालय पत्रांक सं० D.O. No 4/2(1)/2011-NFCH dt-12.5.2011 के द्वारा राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार 2011 देने हेतु नामांकन मांगे गये थे इस संदर्भ में मुझे आपसे निम्नलिखित जानकारियाँ चाहिये.....

1. वर्ष 2011 में उपरोक्त पुरस्कार किस महानुभव/संस्थाओ को दिये गये उनका विवरण।
2. क्या वर्ष 2012 में भी राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार दिये जाने की योजना है यदि हाँ तो इसके नामांकन हेतु कब जानकारी मांगी जायेगी।
3. क्या राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा दिये जाते है।
4. सर्व समाज के लिये निस्वार्थ भावना से कार्य करने वाली संस्थाये/व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार द्वारा, कौन-कौन से पुरस्कार वर्ष में घोषित किये जाते है विवरण सहित।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी सूचना अधिनियम के अर्न्तगत अविलम्ब देने की कृपा करें निर्धारित शुल्क पोस्टल आर्डर के रूप में संलग्न है।

संलग्न-10रु० का पोस्टल आर्डर

02F - (8115)

52067

भवदीय

श्री प्रभा
(शशि प्रभा अग्रवाल)

एफ-10 एच.आई.जी. सै०-23

संजयगनर गाजियाबाद

For clause

3

///

D

f

स्पीड पोस्ट द्वारा
आर.टी. आई. मामला

संख्या.40-13/2013-एन.डी.एम-1

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

हाल-'बी', तृतीय तल, एन.डी.सी.सी-1। भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
दिनांक 11 जुलाई, 2013

सेवा में

श्रीमति शशि प्रभा अग्रवाल,
एफ-10 एच.आई.जी. सै0-23,
संजय नगर,
गाजियाबाद (उ.प्र.)

12 JUL 2013

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना

कृपया इस अनुभाग में 09.07.2013 को प्राप्त अपने दिनांक 06.05.2013 के आर.टी.आई आवेदन का अवलोकन करें जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचनाएं मांगी गई है।

2. इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि जो जानकारियां आपने अपने पत्र दिनांक 06.05.2013 के अंतर्गत मांगी है वह आपदा प्रबंधन अनुभाग, आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। अतः इस अनुभाग से 'शुन्य' सूचना समझी जाए।

जी घोष

(गौतम घोष)

उप सचिव एवं केन्द्रीय सूचना अधिकारी (डी एम-1)
टेलीफोन-23438123

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

एन.आई-111, एच आई प्रभाग (डा. आर. के. मित्रा, संयुक्त सचिव (एन.आई.) एवं अपील प्राधिकारी), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (आपके हवाले से प्राप्त सम्प्रेषण संख्या-11035/12/2013-एन.आई-111 दिनांक 04.07.2013)।

12/7/13